रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 9, 1965 (आश्विन 17, 1887)

N. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 9, 1965 (ASVINA 17, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 सितम्बर 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 22nd September 1965 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तारीख (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
129	No. 19/(40)65—EAC, dt. 21st. Sept. 1965.	Min of Commerce	Recommending revision of the scheme for recognising Export Houses and the recommendations of the selectivity Committee thereon.
	सं० 19(40)/65-ई०ए० सी०, दिनांक 21 सितम्बर 1965	वाणिज्य मंत्रालय	सिफारिश की कि निर्यात गृहों को स्वीकृति देने की योजना का पुनरीक्षण और इस पर चयनशीलता समिति की सफारिशें।
130	सं० कम्पनी 3(12)/65 दिनांक 21 सितम्बर 1965 सं० कम्पनी 3(12)/65 दिनांक 21 सितम्बर 1965	इस्पात और खान मंत्रालय तदैव	इस्पात की बढ़ती हुई उत्पादन लागत के बारे में एक समिति की नियुक्ति। इस्पात की उत्पादन लागत की जांच सम्बन्धी गठित समिति में श्री डी० एस० ताकरा, वित्तीय सलाहकार, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची को सदस्य नियुक्त किया है।
131	No. Pn (Italy Licensing)/ 1 of 1965, dt. 22nd Sept. 1955	Min. of Commerce.	Scheme for the Licensing of Cotton textiles for export to Italy from India—Quota for 1965.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

(CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	549
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	829
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	511
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—

	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	1527
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं	3291
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	255
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	673
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	367
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	107
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	2711
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	195
पूरक सं० 40—	
25 सितम्बर 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	1417
4 सितम्बर 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	1427

	Pages
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	549
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	829
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	511
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1527
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3291
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	255
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	673
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	367
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	107
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2711
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	195
SUPPLEMENT No. 40—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 2nd October 1965	1417
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 11th September, 1965	1427

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

योजना आयोग

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1965

अभिभावक-अध्यापक सहभागिता के लिए कार्यकारी दल

सं० 1/23/64-शिक्षा—शिक्षा के क्षेत्र में, जनता की सहभागिता और सहयोग को प्रोत्साहित करने में ऐच्छिक संगठन महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। इस तथ्य को मानते हुए, योजना आयोग देश की प्रत्येक शिक्षा संस्था में अभिभावक-अध्यापक संघों के गठन सहित विभिन्न कार्य-कलापों को प्रोत्साहित करने पर विचार करती रही है। अतः, यह सोचा गया है कि यदि राज्य सरकारें अभिभावक-अध्यापक सहभागिता के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित कार्यक्रम अपनी चौथी योजना के शिक्षा कार्यक्रम में शामिल करने को तैयार हों तो योजना आयोग इस प्रकार के अभियान जो शिक्षा के स्तर को उन्नत करने में समर्थन प्रदान करें, पर विचार करने को तैयार है। "जन-सहयोग" की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता देकर भारत की राष्ट्रीय अभिभावक-अध्यापक संघ द्वारा कार्रवाई के लिए समेकित कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने का निर्णय किया गया है।

2. कार्यकारी दल का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

(1) प्रो० वी० के० आर० वी० राव, सदस्य (शिक्षा), योजना आयोग। — अध्यक्ष

(2) श्रीमती शान्ति कबीर, अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रीय अभिभावक-अध्यापक संघ।

(3) कुमारी प्रेमवती थापर, अवैतनिक मुख्य सचिव, भारत का राष्ट्रीय अभिभावक-अध्यापक संघ।

(4) श्री एल० ओ० जोशी, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय।

(5) श्री आर० सुब्रह्मण्यिम्, सचिव के वित्तीय सलाहकार, जन सहयोग राष्ट्रीय सलाहकार समिति।

(6) श्री एच० के० डी० टंडन, निदेशक (जन सहयोग), योजना आयोग।

(7) श्री के० पी० सोनी, उप-सचिव, वित्त मंत्रालय।

(8) डा० एस० एन० सराफ, निदेशक (शिक्षा), योजना आयोग। — सदस्य-सचिव

3. कार्यकारी दल की बैठकें आवश्यकतानुसार समय-समय पर होंगी और वह उन बैठकों में उन व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकता है जिनको वह आवश्यक समझे। कार्यकारी दल का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सब राज्य सरकारों, संसद् कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, भारत सरकार के सब मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों को, मंत्री मंडल सचिवालय और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जी० आर० कामत, सचिव

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(सामुदायिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1965

सं० 1/1/65-प्रशि० 2—सामुदायिक विकास तथा पंचायती-राज का काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उचित संगठन, देखभाल और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत सरकार के सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ने संकल्प संख्या 17/14/61-प्रशि०-2 दिनांक 13 जून 1962 के अन्तर्गत सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के अध्ययन तथा अनुसंधान की एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की थी। इस राष्ट्रीय परिषद् के अधिकांश सदस्यों की कार्यविधि 13 जून 1965 को समाप्त हुई।

2. अतः राष्ट्रीय परिषद् को निम्न प्रकार से पुनर्गठित करने का निर्णय किया गया है :

(1) अध्यक्ष — सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री।

(2) उपाध्यक्ष — सामुदायिक विकास तथा सहकारिता उप-मंत्री।

(3) सदस्य —
1. श्री डी० बसुमतारी
2. श्री ब्रह्म प्रकाश
3. श्री जी० रामचंद्रन
4. श्री एस० एन० द्विवेदी
5. श्री दयाल दास कुरे
6. श्रीमती टी० लक्ष्मीकांतम्मा
7. श्री एच० सी० माथुर
8. प्रो० एच० एन० मुखर्जी
9. श्रीमती सावित्री निगम
10. श्री राजेश्वर पटेल
11. प्रो० ए० आर० वादिया
12. श्री एम० सत्यनारायण

13. श्री राम नारायण चौधरी
14. श्री धीरू भाई देसाई
15. डा० डी० एनस्मिंगर
16. प्रो० बी० एन० गांगुली
17. श्री ई० पी० गोपालन
18. प्रो० एन० आर० मल्कानी
19. श्री एस० एन० मजुमदार
20. श्री बी० मुखर्जी
21. श्री टी० एस० अविनाशीलिंगम चेटियार
22. श्री के० एस० वी० रमण
23. श्री एच० सी० लिंगारेड्डी
24. प्रो० एम० एन० श्रीनिवास
25. निदेशक, पंचायतीराज प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का केन्द्रीय संस्थान, नई दिल्ली ।
26. विस्तार आयुक्त, कृषि विभाग, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ।
27. श्री पी० एम० मथाई, निदेशक, औद्योगिक सहकारी समितियां, उद्योग विभाग, उद्योग तथा पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली ।
28. डा० एन० जंगलवाला, उप-महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।
29. कर्नल एस० जी० पेंडसे, प्रशिक्षण, निदेशक, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, (रोजगार तथा प्रशिक्षण का महानिदेशालय) नई दिल्ली ।
30. श्री एल० ओ० जोशी, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
31. श्री एस० सी० सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव, सामाजिक सुरक्षा विभाग, नई दिल्ली ।
32. श्री एस० वासुदेवन, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार, नई दिल्ली ।
33. योजना आयोग के प्रतिनिधि, नई दिल्ली ।
34. श्री एन० पी० चटर्जी, संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली ।
35. डा० जी० जकोब, प्रधानाचार्य, सामुदायिक विकास का राष्ट्रीय संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद ।
36. डा० जे० एन० खोसला, निदेशक, लोक प्रशासन का भारतीय संस्थान, नई दिल्ली ।
37. निदेशक, प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी, मसूरी ।
38. श्री आर० एल० गुप्ता, प्रधानाचार्य, प्रशासनिक कर्मचारी, कालेज, हैदराबाद ।
39. श्री पी० एस० बापना, विकास आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
40. श्री एम० ए० कुरैशी, आयुक्त तथा सचिव, कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश ।
41. श्री एन० अमंतपद्मनाभन, सचिव, ग्रामीण विकास तथा स्थानीय प्रशासन विभाग, मद्रास ।
42. श्री आर० पी० पाधी, अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त, उड़ीसा ।
43. श्री आर० घोष, कृषि तथा सामुदायिक विकास आयुक्त तथा पश्चिमी बंगाल के पदेन सचिव ।

(4) सदस्य सचिव — आयुक्त (प्रशिक्षण) सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय, सामुदायिक विकास, विभाग नई दिल्ली ।

3. परिषद् का कार्य तथा उससे सम्बन्धित अन्य उपबन्ध वे ही होंगे जो उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित भारत सरकार के सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के तारीख 13 जून 1962 के संकल्प संख्या 17/14/61-प्रशि० 2 के पैरा 3-10 में वर्णित हैं ।

4. सदस्यों की कार्यावधि मार्च 1967 के अन्त तक होगी ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

टी० आर० सतीशचंद्रन, उप-सचिव

गृह मंत्रालय

(जनशक्ति निदेशालय)

संकल्प

नई दिल्ली-11, दिनांक 25 सितम्बर 1965

सं० एफ० 25/1/65-एम० पी०—वर्तमान आपात्कालीन स्थिति के संदर्भ में तकनीकी तथा अन्य विशेषज्ञ व्यक्तियों के प्रशिक्षण की वर्तमान योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर अविलम्ब रूप से पुनर्विचार करना आवश्यक है । अतः, भारत सरकार ने निश्चय किया है कि गृह मंत्रालय के 5 नवम्बर 1962 के संकल्प संख्या 24/4/62-एम० पी० के अनुसार निर्मित तकनीकी जनशक्ति समिति का पुनर्गठन किया जाय ताकि वह इस प्रमुख समस्या को हाथ में लेकर विशेष रूप से वर्तमान कार्यक्रमों के विस्तार त्वरित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लागू करने, तथा जहां कहीं जरूरत है वहां तकनीकी शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिये आवश्यक सुझाव दे सके । इस समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) डा० वी० के० आर० वी० राव, सदस्य, योजना आयोग अध्यक्ष ।
(2) प्रतिरक्षा मंत्रालय के दो या अधिक प्रतिनिधि ।
(3) श्रम तथा नियोजन मंत्रालय के सचिव ।
(4) महानिदेशक, नियोजन तथा प्रशिक्षण, श्रम तथ नियोजन मंत्रालय ।

(5) अतिरिक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय ।

(6) अतिरिक्त सचिव, योजना आयोग ।

(7) अतिरिक्त सचिव, भारी इंजीनियरिंग विभाग, उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय ।

(8) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ।

(9) निदेशक, जनशक्ति निदेशालय, गृह मंत्रालय ।

यह समिति, आवश्यकतानुसार, समय-समय पर अन्य मंत्रालयों तथा/अथवा योजना आयोग के प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकेगी और विशेषज्ञता की विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों को नामावलियों अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी ।

गृह मंत्रालय में जनशक्ति निदेशालय इस समिति के कार्यालय का कार्य करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नांकित को भेजी जाय :—

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय;

(2) योजना आयोग;

(3) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्;

(4) संघ लोक-सेवा आयोग;

(5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(6) सभी राज्य सरकारें;
तथा

(7) सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारतीय राजपत्र में प्रकाशित की जाय ।

आदेशानुसार

ए० जे० ए० टारो, उप-सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1965

सं० 29(1)प्लांट/(बी०)/62—इस मंत्रालय की इसी संख्या की अधिसूचना दिनांक 16 जून 1965 के सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि इलायची विकास और विपणन सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्य एक महीने की अवधि, अर्थात् 1 से 31 अक्तूबर 1965 तक और भी अपने पद पर बने रहेंगे ।

एस० बनर्जी, उप-सचिव

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय

(उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 1965

सं० 1-2/65-एम० ई० आई०—भूतपूर्व इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के संकल्प संख्या 1-2/63-एम० ई० आई०, तारीख 25 मार्च 1964 के सन्दर्भ में, जिसमें बाल बेयरिंग उद्योग के लिए एक नामिका गठित की गई थी ।

2. यह निश्चय किया गया है कि बाल बेयरिंग उद्योग की नामिका के सदस्य श्री हरबंस, सिंह के स्थान पर जिन्होंने अब त्याग-पत्र दे दिया है, श्री पी० आर० नायक, उप-सचिव, उद्योग विभाग, उद्योग तथा संभरण मंत्रालय, नई दिल्ली उसके सदस्य होंगे ।

आर० एस० चड्ढा, अवर सचिव

खाद्य और कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 1965

सं० एफ० 10-6/65-फैट—राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन सम्पर्क समिति, जो भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (अब खाद्य और कृषि) के प्रस्ताव संख्या 16-72/47-पालिसी दिनांक 8 नवम्बर 1948 (यथतन संशोधित) के अनुसार निर्मित हुई थी, में फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करनेवाले वर्तमान सदस्यों की कार्य-अवधि की समाप्ति पर अधोलिखित व्यक्तियों को, 1 सितम्बर 1965 से तीन वर्ष के लिए, फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है ।

1. श्री चिनुभाई चिमन भाई,
शाही बाग, अहमदाबाद-4 ।

2. राय बहादुर जी० बी० स्वाइका,
मार्फत, स्वाइका इन्डस्ट्रीज़,
18-बी, ब्राबोरनी रोड,
कलकत्ता-1 ।

जगदीश चन्द्र माथुर, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1965

सं० 12-5/65-एम० बाई०—इस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 21-1/63-एम० बाई० दिनांक 24 जुलाई 1963 जिसके द्वारा कृषि यन्त्र तथा उपकरण विषयक बोर्ड का गठन अधिसूचित किया गया था, के पैरा 1 में क्रम संख्या 20 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाये :—

21. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का एक प्रतिनिधि ।

ए० सी० जैन, अवर सचिव

शिक्षा मंत्रालय

(विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1965

सं०-एफ० 3(9)/65-एस० आर० आई०—अधिसूचना संख्या एफ० 3(18)/62-एस० आर० आई० दिनांक 1 अप्रैल, 1965 चैत्र 11, 1887 के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि श्री कृपालसिंह, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को श्री डी० सी० बैजल के स्थान पर तात्कालिक रूप से 31 मार्च, 1968 तक के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड का नामजद सदस्य घोषित किया गया है ।

ए० के० मुस्तफी, संयुक्त सचिव
(पदेन) शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान विभाग

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1965

सं० 9-एम० (3)/65—मंत्रिमण्डल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने खगोलविज्ञान की एक भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :—

(i) वेधशालाओं के महानिदेशक, नयी दिल्ली ।

(ii) निदेशक, खगोल-भौतिकीय वेधशाला, कोदायकनाल ।

(iii) निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खगोलीय वेधशाला, नैनीताल ।

(iv) निदेशक, निजामियाह खगोलीय वेधशाला, हैदराबाद ।

(v) रक्षा मंत्री, नयी दिल्ली के वैज्ञानिक सलाहकार, डा० एस० भगवंतम् ।

(vi) अन्तरिक्ष अनुसंधान की भारतीय राष्ट्रीय समिति, अहमदाबाद के अध्यक्ष, डा० विक्रम ए० साराभाई ।

(vii) टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फण्डामेण्टल रिसर्च, कोलाबा, बम्बई के रीडर, डा० जी० स्वरूप ।

(viii) जोधपुर विश्वविद्यालय (राजस्थान) में गणित और खगोल विज्ञान के प्रोफेसर, डा० आर० एस० कुशवाहा ।

2. समिति के आर्य, विशेषरूप से उनकी अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं से सम्बद्ध खगोल-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन का भारत में विकास और समन्वय करना है । समिति को अन्तर्राष्ट्रीय खगोल-विज्ञान संघ की महासभा द्वारा विचार-विमर्श किये जाने के लिए उपस्ताव (मोशन) प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

3. समिति की अवधि तीन वर्ष होगी जिसके बाद इसकी पुनः स्थापना की जायेगी ।

4. उपर्युक्त खगोल-विज्ञान की भारतीय राष्ट्रीय समिति के बन जाने के बाद इस मंत्रालय के अधीन खगोल विज्ञान का स्थायी सलाहकार बोर्ड काम करना बन्द कर देगा ।

5. समिति का मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली में वेधशालाओं के महानिदेशक के कार्यालय में होगा, जो कि समिति के सचिवालय सम्बन्धी कार्य का प्रबन्ध करेगा ।

6. वेधशालाओं के महानिदेशक, जब कभी आवश्यक होगा, समिति की बैठक बुलायेंगे ।

वी० शंकर, सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1965

संकल्प

सं० वि० का० 5-516 (4)/64—बाढ़ नियन्त्रण के विचार से रेल पटरी वाले पुलों के नीचे पर्याप्त जल मार्ग बनाने और उन पर खर्च की जिम्मेदारी किस पर हो, इस प्रश्न पर सरकार गत कुछ समय से विचार कर रही है । यह प्रायः मान लिया गया है कि यदि प्राकृतिक कारणों की वजह से अतिरिक्त जल मार्ग की आवश्यकता हो, तो जल मार्गों को चौड़ा करने की लागत रेल विभाग देगा, और यदि राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कुछ निर्माण-कार्यों के कारण अतिरिक्त जल मार्ग की आवश्यकता हो, तो राज्य अधिकारी लागत देंगे । परन्तु ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं, जबकि राज्य सरकार और रेल विभाग में मतभेद था कि जल मार्गों को चौड़ा करने की आवश्यकता किन कारणों से हुई और उनकी लागत कौन देगा । ऐसे मामलों को हल करने के लिए यह फैसला किया गया है कि एक स्थायी समिति का निर्माण किया जाए ।

2. इस समिति में निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ।

सदस्य

2. संबंधित जोनल रेलवे के मुख्य अभियन्ता ।

3. बाढ़ नियन्त्रण का कार्यभारी राज्य सरकार का मुख्य अभियन्ता ।

सदस्य-सचिव

4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का एक प्रतिनिधि ।

3. इस स्थायी समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

यह समिति रेल पटरी के नीचे आवधित जल मार्गों (नामशः वर्तमान पुलों का रूप-परिवर्तन अथवा नये पुलों का निर्माण) के प्रबन्ध को आवश्यक बना देने वाले कारण । कारणों के बारे में राज्य सरकार और रेल विभाग के बीच मतभेदों पर विचार करेगी । यह समिति प्रत्येक पुल के बारे में विस्तारपूर्वक जांच करेगी और निर्णय देगी कि आवधित जल मार्ग की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों में से किसी एक की वजह से अथवा निम्नलिखित कारणों के खंडन की वजह से हुई है :—

(क) वर्षापात की घनता में प्रतिष्ठित वृद्धि, सरिताओं के स्वाभाविक मार्ग परिवर्तन इत्यादि प्राकृतिक कारण ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिये गए बाढ़ नियन्त्रण, जल निस्सार और सड़क निर्माण तथा सिंचाई स्कीमों अथवा अन्य कार्यों के कारण वाहक्षेत्र से आए पानी की वितरण प्रणाली में तबदीली के कारण संबंधित रेल पुल/ पुलों के नीचे से गुज़रने वाले अधिकतम निस्सार में वृद्धि ।

(ग) निर्माण-समय पुल की मौलिक अपर्याप्तता ।

(घ) अन्य कोई कारण ।

यदि उपर्युक्त कारणों में से एक से अधिक कारणों के मेल से आवधित जल मार्ग का बनाना आवश्यक हो जाए, तो समिति यह भी आंकेगी कि जल मार्ग में होने वाली कुल वृद्धि कितनी-कितनी किन-किन कारणों से हुई ।

4. जब कभी राज्य सरकार और रेल विभाग में मतभेद उत्पन्न होगा, संबद्ध मुख्य अभियन्ता, जोनल रेलवे, अथवा सम्बद्ध राज्य मुख्य अभियन्ता केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अध्यक्ष को रेल विभाग अथवा राज्य के मतों पर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा और इसकी एक प्रति सम्बद्ध राज्य और रेल विभाग के अधिकारियों को भेजेगा । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तब उस मामले पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाएंगे । समिति का निर्णय रेल विभाग तथा राज्य पर बाध्य होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, संसद् कार्य विभाग, राज्य/लोक-सभा सचिवालयों, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक को भेज दिया जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और राज्य सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे राज्य के राजपत्रों में आम सूचना के लिए प्रकाशित करें ।

वि० नन्जप्पा, सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1965

सं० वि० का०-5-510(3)/65—बड़ी गंडक नदी की तबाही से चितौनी बंध के सुरक्षार्थ दीर्घकालीन उपायों को बनाने के लिए स्थापित तकनीकी समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि को सरकार इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि का -5-510(3)/65 दिनांक 28-5-65 के सांतत्य में अब 1965 के अन्त तक बढ़ाती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प उत्तर प्रदेश/बिहार की राज्य सरकारों को, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दिया जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे इस संकल्प को राज्य के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित कर दें ।

दिनांक 29 सितम्बर 1965

सं० 20(31)/63-नीति—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 20(31)/63-नीति, दिनांक 31-10-64 द्वारा स्थापित बांधों की संरचनात्मक दाब मापन समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि एतद्द्वारा दिसम्बर 1965 के अन्त तक बढ़ा दी गई है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि राज्य सरकारों, नदी घाटी योजना से संबंधित सभी विभागों तथा संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में साधारण जानकारी के लिये प्रकाशित करा दिया जाये ।

के० जी० आर० अय्यर, संयुक्त सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1965

सं०-एल० डब्ल्यू० आई०-1-2(9)/65—समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह लिखा गया है कि कुछ मामलों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मजूरी दरें बहुत कम हैं उनमें निर्वाह-खर्च में हुई वृद्धि के अनुसार समय में पुनरीक्षण/संशोधन नहीं किया जाता । अधिनियम के प्रशासन में कुछ अन्य त्रुटियां भी जताई गई हैं । श्रम और रोजगार मंत्री ने 14 अप्रैल, 1965 को लोक सभा में अपने भाषण के दौरान यह कहा था कि विशेष रूप से न्यूनतम मजदूरी से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय में एक अधिकारी नियुक्त करने का विचार है, ताकि अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जा सके ।

तद्नुसार भारत सरकार ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के प्रशासन/कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न मामलों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहसचिव, श्री के० आई० विद्यासागर की एक सदस्यीय समिति गठित की है । समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(i) केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रवर्तन की जांच करनी ।

(ii) न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने या उसमें संशोधन करने के वर्तमान तरीकों/प्रक्रियाओं की जांच करना और उसमें सुधार, यदि कोई हो, के सुझाव देना ।

(iii) उन मामलों की जांच करना जहां केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण/संशोधन में देरी की गई और भविष्य में न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण/संशोधन के लिए समुचित उपायों की सिफारिश करना ।

(iv) यह जांच करना आयाकि केन्द्र और राज्यों/संघ क्षेत्रों में एनफोर्समेंट/इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी पर्याप्त है और आयाकि इसे मजबूत करने की आवश्यकता है और यदि है, तो किस आधार पर ।

(V) अधिनियम के और अधिक कारगर प्रवर्त्तन के ऐसी अन्य सिफारिशें करना जो समिति उपयुक्त समझे ।

3. यह समिति अपनी रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्री को यथाशीघ्र भेजेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

(1) सभी राज्य सरकारें/संघ प्रशासित क्षेत्र ।
(2) मालिकों और मजदूरों के अखिल भारतीय संगठन ।
(3) भारत सरकार के नियोजक मंत्रालय ।
(4) निदेशक, श्रम ब्यूरो, शिमला ।
(5) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० एम० मेनन, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1965

सं० ई० एण्ड पी० 4/1/30/64—चूंकि 20 दिसम्बर, 1958/29 अग्रहायन, 1880 के भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-ई० एण्ड पी० 4(24)/58, तारीख 12 दिसम्बर, 1958 में अधिसूचित केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के गठन में कुछ और परिवर्तन किया गया है, इसलिए जनता की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सोसायटी के नियमों और विनियमों के नियम 3 (एफ०) और (जी०) (iii) के अनुसार बिहार, गुजरात और केरल राज्य सरकारें इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छः महीने तक सोसायटी में प्रतिनिधित्व करेंगी ।

2. तदनुसार उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट :—

"(5) श्री भरत चन्द खन्ना, आई० ए० एस०
श्रमायुक्त,
आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ।
(6) श्री आर० सी० राय,
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।
(7) श्री एस० एम० भट्टाचर्जी, आई० ए० एस०
सचिव, श्रम विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।"

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :—

"(5) श्री ईश्वरी प्रसाद,
सह श्रमायुक्त,
बिहार सरकार, पटना ।
(6) श्री बी० वी०, ब्रह्मभट्ट,
गुजरात सरकार के उप-सचिव,
शिक्षा और श्रम विभाग, अहमदाबाद ।
(7) श्री पी० कोचुकृष्णन,
श्रमायुक्त, केरल सरकार,
ट्रिवेंड्रम ।"

ओ० पी० तलवाड़, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 15th September 1965

RESOLUTION

No. PC(P)19/Hill/65.—In pursuance of the recommendation of the Committee of the National Development Council on Development of Hill Areas, the Government of India have decided to constitute a Steering Committee consisting of :

Chairman

1. Shri G. R. Kamat,
Secretary, Planning Commission.

Members

2. Shri G. Venkateswara Ayyar,
Secretary, Ministry of Finance,
(Department of Coordination).
3. Shri S. Ranganathan,
Secretary, Ministry of Industry & Supply,
(Department of Industry).
4. Shri V. Nanjappa,
Secretary, Ministry of Irrigation & Power.
5. Shri A. L. Dias,
Secretary, Ministry of Food & Agriculture,
(Department of Food).
6. Shri D. C. Das,
Secretary, Department of Social Security.
7. Shri Prem Kirpal,
Secretary, Ministry of Education.
8. Shri Nagendra Singh,
Secretary, Ministry of Transport.
9. Shri B. Mukerji,
Secretary, Ministry of Health.
10. Shri S. K. Datta,
Special Secretary,
Ministry of Food & Agriculture,
(Department of Agriculture).
11. Shri I. D. N. Sahi,
Additional Secretary,
Ministry of Community Dev. & Cooperation,
(Department of Community Development).

Member-Secretary

12. Shri K. Mitra,
Chief (Programme Administration),
Planning Commission.

2. The terms of reference of the Committee shall be to examine the recommendations of the various Working Groups set up in the Central Ministries on Agriculture, Khadi, Village & Small Industries, Education, Health and Transport & Tourism for the formulation of programmes of development of hill areas during the Fourth Five Year Plan, to allocate priorities among these programmes and to make such recommendations to the Planning Commission as would supplement the provisions made on account of development of hill areas in the Plans of States and Territories concerned.

3. The headquarters of the Committee will be in New Delhi, but it may visit States on tour and co-opt suitable representatives of State Governments or Administrations.

4. The Committee will hold its meetings when necessary and may invite to its meetings such officers as may be considered necessary.

5. The Committee may submit its report by November 15, 1965.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, all Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Cabinet Secretariat, the Comptroller & Auditor General of India for information.

A. MITRA, Addl. Secy.

New Delhi, the 20th September 1965

CORRIGENDUM

No 15(24)/65-Pub.—The Resolution No. 15(24)/65-Pub., dated 22-7-1965, on the subject of setting up a Coordination Committee on Planning Forums is modified as below :

For

(11) Shri S. P. Mahana
Deputy Secretary
Ministry of Finance.

Read

(11) Shri K. P. Soni
Deputy Secretary
Ministry of Finance.

ORDER

ORDERED that a copy of the above corrigendum be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

K. A. P. STEVENSON, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Community Development)

New Delhi, the 24th September 1965

RESOLUTION

No. 1/1/65-Trg.II.—With a view to ensuring proper organisation, supervision and guidance of the training programme of the officials and non-officials involved in Community Development and Panchayati Raj, a National Council of Study and Research in Community Development and Panchayati Raj was set up by the Government of India, Ministry of Community Development and Cooperation, under Resolution No. 17/14/61-Trg.II, dated the 13th June 1962. The tenure of office of the bulk of the members of the National Council expired on the 13th June 1965.

2. It has, therefore, been decided to reconstitute the National Council as follows :—

President

Minister of Community Development and Cooperation.

Vice-President

Deputy Minister of Community Development & Cooperation.

Members

1. Shri D. Basumatari.
2. Shri Brahm Perkash.
3. Shri G. Ramachandran.
4. Shri S. N. Dwivedy.
5. Shri Dayal Das Kurre.
6. Smt. T. Lakshmikantamma.
7. Shri H. C. Mathur.
8. Prof. H. N. Mukerji.
9. Smt. Savitri Nigam.
10. Shri Rajeshwar Patel.
11. Prof. A. R. Wadia.
12. Shri M. Satyanarayana.
13. Shri Ram Narayan Choudhry.
14. Shri Dhirubhai Desai.
15. Dr. D. Ensminger.
16. Prof. B. N. Ganguli.
17. Shri E. P. Gopalan.
18. Prof. N. R. Malkani.
19. Shri S. N. Mozumdar.
20. Shri B. Mukerji.
21. Shri T. S. Avinashilingam Chettiar
22. Shri K. S. V. Raman.
23. Shri H. C. Linga Reddy.
24. Prof. M. N. Srinivas.
25. Director, Central Institute for Training & Research in Panchayati Raj, New Delhi.
26. Extension Commissioner, Department of Agriculture, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi.
27. Shri P. M. Mathai, Director, Industrial Cooperatives, Department of Industry, Ministry of Industry & Supply, New Delhi.
28. Dr. N. Jungalwala, Deputy Director General of Health Services, Ministry of Health, New Delhi.
29. Col. S. G. Pendse, Director Training, Ministry of Labour & Employment, (Directorate General of Employment & Training), New Delhi.
30. Shri L. O. Joshi, Joint Secretary, Ministry of Education, New Delhi.
31. Shri S. C. Sen Gupta, Joint Secretary, Department of Social Security, New Delhi.
32. Shri S. Vasudevan, Financial Adviser to the Ministry of Community Development & Cooperation, New Delhi.
33. Representative of the Planning Commission, New Delhi.
34. Shri N. P. Chatterji, Joint Secretary, Department of Cooperation, Ministry of Community Development & Cooperation, New Delhi.
35. Dr. G. Jacob, Principal, National Institute of Community Development, Rajendranagar, Hyderabad.
36. Dr. J. N. Khosla, Director, Indian Institute of Public Administration, New Delhi.
37. Director, National Academy of Administration, Mussoorie.

38. Shri R. L. Gupta, Principal, Administrative Staff College, Hyderabad.
39. Shri P. S. Bapna, Development Commissioner, Madhya Pradesh, Bhopal.
40. Shri M. A. Quraishi, Commissioner and Secretary, Agricultural Production and Rural Development, Uttar Pradesh.
41. Shri N. Ananthapadmanabhan, Secretary, Rural Development & Local Administration Department, Madras.
42. Shri R. P. Padhi, Additional Chief Secretary and Development Commisioner, Orissa.
43. Shri R. Ghosh, Commissioner for Agriculture and Community Development and *Ex-Officio* Secretary to Government of West Bengal.

Member-Secretary

Commissioner (Training), Ministry of Community Development & Cooperation, Department of Community Development, New Delhi.

3. The functions of the Council and the other provisions relating to it shall be the same as detailed in paras 3—10 of the Government of India, Ministry of Community Development and Cooperation Resolution No. 17/14/61-Trg.II, dated June 13, 1962, referred to in para 1 above.

4. The tenure of office of the members will be till the end of March 1967.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. R. SATISH CHANDRAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Directorate of Manpower)

New Delhi-11, the 25th September 1965

RESOLUTION

No. F. 25/1/65-MP.—Whereas it is urgently necessary to review existing plans and programmes for the training of technical and other specialised personnel in the context of the present emergency, the Government of India have decided that the Technical Manpower Committee, set up in accordance with Ministry of Home Affairs Resolution No. 24/4/62-MP, dated 5th November 1962, be reconstituted, to deal with this important problem and, in particular, to initiate necessary proposals for the augmentation of existing programmes to introduce accelerated training courses and, where necessary, to modify the existing curricula for technical education. The Committee will consist of the following :—

(1) Dr. V. K. R. V. Rao, Member, Planning Commission — *Chairman*
(2) Two or more representatives of the Ministry of Defence.
(3) Secretary, Ministry of Labour and Employment.
(4) Director-General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment.
(5) Additional Secretary, Ministry of Education.
(6) Additional Secretary, Planning Commission.
(7) Additional Secretary, Department of Heavy Engineering, Ministry of Industry and Supply.
(8) Director General of Health Services.
(9) Director, Directorate of Manpower, Ministry of Home Affairs.

The Committee may, from time to time, co-opt representatives of other Ministries and/or the Planning Commission and appoint panels or sub-committees of experts in different branches of specialisation, as necessary.

The Directorate of Manpower in the Ministry of Home Affairs will provide the Secretariat for the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :

(1) All the Ministries of the Govt. of India;
(2) The Planning Commission;
(3) The Council of Scientific and Industrial Research;
(4) Union Public Service Commission;
(5) University Grants Commission;
(6) All the State Governments; and
(7) All Union Territories' Administrations

ORDERED further that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India.

By Order—

A. J. A. TAURO, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY AND SUPPLY

(Department of Industry)

New Delhi, the 25th September 1965

No. 1-2/65-MEI.—Reference the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering Resolution No. 1-2/63-MEI, dated the 25th March 1964, constituting a Panel for the Ball Bearing Industry.

2. It has been decided that Shri P. R. Nayak, Deputy Secretary in the Department of Industry, Ministry of Industry and Supply, New Delhi, shall be a member of the Panel for the Ball Bearing Industry, *vice* Shri Harbans Singh, since resigned.

R. S. CHADHA, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 18th September 1965

No. 12-5/65-MY.—In para 1 of this Ministry's Notification No. 21-1/63-MY, dated the 24th July 1963, notifying the constitution of the Board for Agricultural Machinery and Implements the following be added after Sl. No. 20 :

21. One representative of the National Agricultural Co-operative Marketing Federation.

A. C. JAIN, Under Secy.

New Delhi, the 21st September 1965

No. F. 10-6/65-FAIT.—On the expiry of the term of the present members representing the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry on the National FAO Liaison Committee constituted in the late Ministry of Agriculture (Now Food and Agriculture) Resolution No. F. 16-72/47-Policy dated the 8th November 1948 as amended to date, the following representatives of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry have been nominated to serve on this Committee for a period of three years, with effect from the 1st September 1965 :—

1. Shri Chinubhai Chimanbhai, Shahibag, Ahmedabad-4.
2. Rai Bahadur G. V. Swaika, C/o, Swaika Industries, 18-B, Brabourne Road, Calcutta-1.

J. C. MATHUR, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 27th September 1965

No. 22(22)/62-SR.II.—The Government of India have decided to set up a National Committee for Biological Sciences consisting of the following,—

1. Prof. P. Maheswari, Head of the Dept. of Botany, University of Delhi, Delhi. — *Chairman*
2. Dr. K. C. Bora, Biology Division, Atomic Energy Establishment, Trombay, Richardson and Cruddas Building, Byculla, Bombay.
3. Dr. A. R. Gopala-Ayengar, Director, Biology Group, Atomic Energy Establishment, Trombay, Richardson and Cruddas Building, Byculla, Bombay.
4. Dr. B. P. Pal, Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
5. Dr. N. K. Panikkar, Director, Indian Ocean Expedition, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
6. Dr. A. S. Paintal, Director, Vallabhai Patel Chest Institute, Delhi.
7. Dr. B. R. Seshachar, Head of the Deptt. of Zoology, University of Delhi, Delhi.

8. Rev. H. Santapau,
Director,
Botanical Survey of India,
Calcutta.

9. Dr. O. Siddiqi,
Tata Institute of Fundamental
Research, Colaba, Bombay.

The functions of the National Committee will be to promote and co-ordinate in this country the study of the various branches of Biological Sciences, more specially in relation to their international requirements, keeping in view the object of the International Union of Biological Sciences, namely,—

(a) to promote the study of Biological Sciences;

(b) to initiate, facilitate and co-ordinate research and other scientific activities which demand international co-operation;

(c) to ensure the discussion and dissemination of the results of co-operative research;

(d) to promote the organisation of international conferences and to assist the publication of their reports.

M. M. MALHOTRA, Dy. Secy.

(Department of Science)

New Delhi, the 22nd September 1965

No. F. 3(9)/65-SRI.—In continuation of Notification No. F. 3(18)/62-SRI dated the 1st April 1965/Chaitra 11 1887, it is notified for general information that Shri Kirpal Singh, Chairman, Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi has been nominated as member of the Board of Scientific and Industrial Research of the Council of Scientific & Industrial Research with immediate effect till 31st March 1968, *vice* Shri D. C. Baijal.

A. K. MUSTAFY, Jt. Secy., (*Ex-Officio*)
Ministry of Education, Dept. of Science

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 24th September 1965

No. 9-M(3)/65.—On the recommendation of the Scientific Advisory Committee to the Cabinet, the Government of India have decided to set up an Indian National Committee for Astronomy, consisting of the following :—

(i) The Director General of Observatories, New Delhi.
(ii) The Director, Astrophysical Observatory, Kodaikanal.
(iii) The Director, U.P. State Astronomical Observatory, Nainital.
(iv) The Director, Nizamiah Astronomical Observatory, Hyderabad.
(v) Dr. S. Bhagvantam, Scientific Adviser to the Minister of Defence, New Delhi.
(vi) Dr. Vikram A. Sarabhai, Chairman, Indian National Committee for Space Research, Ahmedabad.
(vii) Dr. G. Swarup, Reader, Tata Institute of Fundamental Research, Colaba, Bombay.
(viii) Dr. R. S. Kushwaha, Professor of Mathematics & Astronomy, University of Jodhpur (Rajasthan).

2. The functions of the Committee will be to promote and co-ordinate in India, the study of the various branches of astronomy, more especially in relation to their international requirements. The Committee shall be entitled to submit motions for discussion by the General Assembly of the International Astronomical Union.

3. The term of the Committee would be 3 years, after which it will be reconstituted.

4. With the formation of the Indian National Committee for Astronomy, as above, the existing Standing Advisory Board for Astronomy under this Ministry will cease to function.

5. The headquarters of the Committee will be at New Delhi, in the Office of the Director General of Observatories, who will make arrangements for the secretarial work of the Committee.

6. The Director General of Observatories will convene meetings of the Committee as and when necessary.

V. SHANKAR, Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd September 1965

No. DW-V-510(19)/65.—Heavy and intensive rainfall in areas east of Alwar up to river Yamuna have caused heavy inundation and damage to large areas in Rajasthan and Agra and Mathura districts of Uttar Pradesh. The capacity of the Goverdhan drain under construction in this area does not appear to be adequate. In order to examine this and the effect of numerous railway lines passing through this area and suggest suitable remedial measures to avoid future flooding in this part of Rajasthan and Uttar Pradesh, it has been decided to constitute an Expert Committee.

2. The Committee shall consist of—

Chairman

1. Shri Jaffar Ali,
Consultant, Ministry of Irrigation & Power,
'Adikmat', Hyderabad.

Members

2. Chief Engineer (Irrigation),
Uttar Pradesh, Lucknow.
3. Chief Engineer, Irrigation,
(Yamuna Barrage), Punjab,
Chandigarh.
4. Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur.
5. Chief Engineer,
Western Railway, Bombay.
6. Joint Director (Floods),
Research, Designs & Standards Organisation,
Lucknow.

Member-Secretary

7. Chief Engineer (Flood Control),
Central Water & Power Commission,
New Delhi.

3. The terms of reference of the Committee shall be :—

1. To study the drainage problem of the area east of Alwar up to Yamuna river and Fatehpur Sikri;
2. To suggest improvements in existing drainage system; and
3. To suggest construction of any other additional drains in order to prevent flood damage to this area.

4. The Committee will submit its report within three months.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Uttar Pradesh, Punjab and Rajasthan, All Ministries of the Government of India, Prime Minister's Sectt., the Private and Military Secretary to the President, the Comptroller and Auditor General of India and the Planning Commission, the Lok/Rajya Sabha Sectt. and the Deptt. of Parliamentary Affairs.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments of Uttar Pradesh, Punjab and Rajasthan be requested to publish it in the State Gazette for general information.

P. R. AHUJA, Jt. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 29th September 1965

No. 20(31)/63-Policy.—The period for the submission of the report by the Committee on Instrumentation in Dams, set up under this Ministry Resolution No. 20(31)/63-Policy, dated the 31st October 1964, is hereby extended up to the end of December 1965.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Departments of all State Governments dealing with River Valley Projects and to the persons concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. G. R. IYER, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 21st September 1965

No. WB. 17(8)/65.—The Central Wage Board for non-journalist employees of the newspaper establishments set up by the Government of India by their Resolution No. WB-17(2)/63, dated the 25th February 1964, made recommendations for grant of interim relief. These were accepted by Government *vide* their Resolution No. WB-17(13)/64, dated the 9th April 1965. The Board has given clarification (as shown in the appendix) with respect to grant of interim relief to the non-journalist employees employed by weeklies, bi-weeklies and tri-weeklies.

2. Government have decided to bring the clarifications to the notice of the concerned organisations of employers and workers in order to secure implementation of the recommendations as per the Board's clarifications.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. M. MENON, Secy.

APPENDIX

The interim relief shall be granted to weeklies, bi-weeklies and tri-weeklies on the following basis :—

Class III and IV.	(as per wage Committee report).	For Gross Revenue of less than 5 lakhs.'	Rs. 5·00 p.m.
Class II .	Do.	For Gross revenue of Rs. 5 lakhs and above but less than 12·5 lakhs.	Rs. 7·50 p.m.
Class I	Do.	For Gross revenue of Rs. 12·5 lakhs and above.	Rs. 10·00 p.m.

The Board abstains from making any recommendations for grant of interim relief in respect of periodicals other than weeklies, bi-weeklies and tri-weeklies for want of necessary data.

New Delhi, the 22nd September 1965

No. E&P.4/1/30/64.—Whereas there have been certain further changes in the composition of persons representing State Governments on the Central Board for Workers' Education notified in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P.4(24)/58, dated the 12th December 1958, published in the Gazette of India, Part I, Section 1, dated December 20, 1958/Agrahayana 29, 1880, it is hereby notified for the information of the public that in pursuance of Rule 3(f) & (g)(iii) of the Rules and Regulations of the said Society, the State Governments of Bihar, Gujarat and Kerala shall have representation on the Society for a period of six months from the date of issue of this Notification.

2. Accordingly, in the said notification, for the entries :—

"(5) Shri Bharat Chand Khanna, IAS,
Commissioner of Labour,
Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.

(6) Shri R. C. Roy,
Labour Commissioner,
Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

(7) Shri S. M. Bhattacharjee, IAS,
Secretary, Labour Department,
Government of West Bengal,
Calcutta.

the following entries shall be *substituted* :—

"(5) Shri Ishwari Prasad,
Joint Labour Commissioner,
Government of Bihar, Patna.

(6) Shri B. B. Brahmbhatt,
Deputy Secretary to Government of Gujarat,
Education and Labour Department,
Ahmedabad.

(7) Shri R. Kochukrishnan,
Labour Commissioner,
Government of Kerala, Trivandrum.

O. P. TALWAR, Under Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965